राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर

**क्रमांक** : प.3(18) आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/बीएफसी/2018–19/ **दिनांक** :

## बजट परिपत्र

विषय : आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आय–व्ययक अनुमान (प्रतिबद्व) तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान (प्रतिबद्व) के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।

समस्त आंकलन अधिकारियो से अनुरोध हैं कि वित्त विभाग की वेब साइट www.finance.rajasthan.gov.in पर जाकर बजट परिपत्र क्रमांक प.4(38)वित्त–1(1) आ.व्य./2017 दिनांक 30.08.2017 (BE 2018-19 & RE 2017-18) डाउनलोड करें। उक्त बजट परिपत्र को सावधानी पूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार सभी प्रपत्रों को जो भी प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, IFMS की website पर प्रविष्टि की जाकर ऑन लाइन करें।

1. प्रपत्र–1(अ), (नियमित/कार्यप्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण ) प्रपत्र–1 (ब), (स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यालय में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण ) प्रपत्र–1 (स), (कार्यालय में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण स्वीकृत पदों के अतिरिक्त) प्रपत्र–2, (विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण, प्रपत्र–3 (कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर एवं किराये पर लिये गये कम्प्यूटर्स की सूचना, प्रपत्र–4 (अ) (कार्यालय में उपलब्ध वाहनों की सूची) प्रपत्र–4(ब), (कार्यालय द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों की सूची ), प्रपत्र–5(अ) (पी0डी0 खातों में हस्तान्तरित राशि एवं उसके उपयोग की स्थिति का विवरण) प्रपत्र–5(ब) में बैंक खातों की स्थिति के संबंध में विवरण हैं। **प्रपत्र–1 (अ) के कॉलम संख्या 7 व 8 को भरते समय विशेष ध्यान रखा जावें। कॉलम 7 व 8 में 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त/उसके पश्चात् नियुक्त का अभिप्राय राजकीय सेवा में नियुक्ति से हैं। प्रायः कार्यालयों द्वारा उनके कार्यालय में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व/पश्चात् नियुक्त कार्मिकों की सूचना भर दी जाती हैं। अतः कॉलम संख्या 7 एवं 8 में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व/1 जनवरी, 2004 को तथा उसके पश्चात् राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना भरनी हैं। कार्यालय में चाहे कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन चाहे कभी भी हुआ हो।** उक्त सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित करे।

2. उक्त सभी सूचनाऐं केन्द्रीकृत डाटा प्रमाणीकरण में मौजूद है। उल्लेखित सूचनाओं को जॉच ले। यदि स्वीकृत पदों, टेलीफोन, कम्प्यूटर एवं वाहनों की संख्या में कमी एवं वृद्वि हुई है, (पदों का स्वीकृत आदेश, टेलीफोन का स्वीकृत आदेश, कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर का क्रय एवं अन्य कार्यालयों से प्राप्त/भिजवाने का आदेश एवं वाहन का निस्तारण सम्बन्धी आदेश) तो उसका कारण अंकित करते हुए उसकी सूचना निम्न प्रपत्र में लाना सुनिश्चित करें।

| क.सं0 | आई.एफ. एम.एस. कोड | कार्यालय का नाम | बजट मद | पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्वि पदनाम सहित | टेलीफोन की संख्या में कमी अथवा वृद्वि | कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर की संख्या में कमी अथवा वृद्वि | वाहनों की संख्या में कमी अथवा वृद्वि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3. महंगाई भत्ता की गणना नियमानुसार (वर्तमान में जो लागू हैं ) करना हैं। यदि मंहगाई भत्तों की दरों से राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है, तो संवेतन में भरी जाने वाली राशि में संशोधन करके अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रपत्र 9 की संशोधित हार्ड कॉपी पुनः भिजवा दे। सभी प्रपत्रों में राशि हजारों (सहस्त्रों) में भरी जानी हैं। राशि निकटतम सैकड़ों में Rounded Off करते हुए हजारों में भरनी हैं। जैसे राशि रू. 15125/– को 15.100 लिखना है तथा 15150 को 15.200 लिखना हैं।
4. आय–व्यय अनुमानो एवं संशोधित अनुमानों में आंकलित राशि का गत वर्ष के आंकडों से मिलान कर यह सुनिश्चित कर ले कि आंकडों में बिना औचित्यपूर्ण कारणों के अप्रत्याशित वृद्वि नहीं हुई हैं।
5. प्रपत्र–8 के अधिकांश कॉलम में सूचना आईएफएमएस मे पे–मैनेजर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः दर्शित होगी जिसमें आवश्यक संशोधन कार्यालय अपने स्तर पर edit कर करें।
6. बजट मैन्यूअल के पैरा संख्या – 13.18.2(a) को ध्यान में रखते हुए रिक्त पद हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान न तो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में न ही आगामी वित्तीय वर्ष के प्रावधानों में शामिल करना हैं। कार्यरत अवधि का वास्तविक भुगतान ही शामिल करना हैं। माह सितम्बर, 2017 एवं इसके पश्चात् होने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों की उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्ताव तैयार करावें।
7. रिक्त पदों की सूचना, रिक्ति की तिथि, बजट मदवार उपलब्ध करावें।
8. उन सभी बजट शीर्षो के अनुमान तैयार कर साथ लावें, जिन बजट मदों में आपके कार्यालय को बजट आवंटित किया गया है, या मांग प्रस्तावित की जानी आवश्यक हैं।
9. किसी प्रपत्र में राशि या विवरण शून्य होने पर भी शून्य का विवरण दर्शाते हुए प्रपत्र लावें।
10. **नवीन स्कीमों/नवीन प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन करवाकर ही ऑनलाइन करने हैं।**
11. बकाया यात्रा व्यय व बकाया चिकित्सा व्यय बिलों का विवरण सहित निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना हैं :–

### बकाया बिल प्रपत्र–अ

**बजट मद** **(राशि हजारों में)**

| क.सं0 | आई.एफ. एम. एस. कोड | कार्यालय का नाम | बजट मद | कर्मचारी का नाम व पद | 2016–17 में प्राप्त बिलों की राशि | 2017–18 में प्राप्त बिलों की राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

12. बकाया गंभीर बिमारी से सम्बन्धित मेडिकल बिलों का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना हैं :–

बजट मद (राशि हजारों में)

| क्र. सं0 | आई.एफ. एम.एस. कोड | कार्यालय का नाम | बजट मद | कर्मचारी का नाम व पद | रोगी का नाम एवं कर्मचारी से संबंध | गंभीर रोग का विवरण | प्राप्त पुनर्भरणयोग्य बिलों की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

13. वर्दी सम्बन्धी प्रावधान ऑब्जेक्ट हैड – 37 वर्दी तथा अन्य सुविधाऐं में सूचना संकलित करना सुनिश्चित करें।

14. निम्न कार्यालय प्रपत्र–1(अ), प्रपत्र–1(स), प्रपत्र–2, प्रपत्र–3, प्रपत्र–4(अ), प्रपत्र–5(अ), प्रपत्र–5(ब), प्रपत्र–8 व 9 में व्यय के विस्तृत अनुमान, प्रपत्र 10 में प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान, प्रपत्र 11 में जेण्डर सम्बन्धित विवरण तैयार कर दिनांक 20.09.2017 तक ऑनलाईन भरकर उनकी हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से निम्न दिनांकों को बजट शाखा ( प्रतिबद्व) में कमरा नम्बर 234 द्वितीय तल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें :–

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड सीकर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 20.09.2017 |
| 2. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड भरतपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 22.09.2017 |
| 3. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड जयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 25..09.2017 |
| 4. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड उदयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 26.09.2017 |
| 5. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड कोटा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 27.09.2017 |
| 6. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड भीलवाड़ा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 03.10.2017 |
| 7. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड जोधपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 04.10.2017 |
| 8. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड बीकानेर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 05.10.2017 |
| 9. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड श्रीगंगानगर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 06.10.2017 |
| 10. | संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड जालौर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र | 09.10.2017 |
| 11. | शेष कार्यालय जिन्होनें निश्चित दिनांक को बजट प्रस्तुत नहीं किया। | 10.10.2017 |

यदि बजट परिपत्र डाउन लोड करने में एवं सभी प्रपत्रों की आई.एफ.एम.एस. वेब साइट में प्रविष्टि करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो श्री लक्ष्मी नारायण पालीवाल, सहायक लेखाधिकारी–II मोबाइल नं0 9351369562 एवं श्री रोहिताश्व शर्मा, क्लर्क ग्रेड–II मोबाइल नं0 9785370572 (कार्यालय के फोन नं0 0141–2227946) से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

**नोट :–(1) सभी प्रपत्रों में बजट मद एवं कार्यालय का आई.एफ.एम.एस. कोड़ अवश्य अंकित करें। बजट तैयार करने वाले कार्मिक का नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।**

**(2) आंकलन अधिकारी के कार्यालय से बजट संबंधी प्रपत्र लेकर आने वाले कर्मचारियों को बजट शाखा में समस्त प्रपत्रों को जॉच एंव कम्प्यूटर में इन्द्राज करवाने के बाद ही उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।**

80

वित्तीय सलाहकार

**क्रमांक :** प.3(18) आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/बीएफसी/2018–19/ 3728-3888 **दिनांक :** 08/09/2017

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण)टोंक।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (खण्ड) ................................................................।
5. समस्त उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण)/(मिटट्री परीक्षण प्रयोगशाला) ..............................................।
6. उप निदेशक कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ................................................................।
8. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद ................................................................।
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी ................................................................।
10. उप निदेशक कृषि (शष्य) मलिकपुर/चित्तोडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/ हनुमानगढ़ /लूणकरणसर/उप निदेशक कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय जयपुर।
12. सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलान ) मुख्यालय जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावें।

वित्तीय सलाहकार